

STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW



सन्दर्भ में :

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह अभियोग बोर्ड ऑफ़ रिव्यू (“बोर्ड”) के समक्ष अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट संख्या _____ के तहत दिए गए निर्णय पर (दावेदार) (नियोक्ता) की अपील पर विचार करने के लिए आया है। रिकॉर्ड साक्ष्य की पूरी तरह से समीक्षा की गई है।

(निर्णय या सुनवाई से सम्बंधित समस्याओं को लिखें)

पूर्वगामी के आधार पर, अभियोग को **बिलकुल नए तौर पर सुनवाई** करने के लिए रोजगार सुरक्षा डिवीज़न (“डिवीज़न”) के अपील अनुभाग को पुनः भेज दिया जाना चाहिए।

रिमांड पर सुनवाई के समापन पर, अपील रेफरी को निर्णय को अलग रखना चाहिए और और नए तथ्यों और कानून के निष्कर्षों के साथ एक नया निर्णय जारी करना चाहिए। तथ्यों के ये निष्कर्ष इस मामले के प्रक्रियात्मक इतिहास को बताएँगे, जिसमें शामिल हैं निरंतरता और रिमांड के सभी आदेश, रिमांड के कारण, रिमांड आदेश की आवश्यकताओं का सारांश, और इस मामले में आयोजित की गई प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहनेवाले पक्ष और गवाह। रिमांड पर सुनवाई के बाद नए फैसले से यह स्पष्ट होना चाहिए कि अपील रेफरी ने सुनवाई और सबूतों को माना और बोर्ड के रिमांड ऑर्डर का पालन किया है।

इस निर्णय के अनुरूप आगे की कार्यवाही के लिए अभियोग को **रिमांड** किया (वापस भेजा) जा रहा है।

यह आदेश दिया जाता है कि सभी इच्छुक पक्षों को रिमांड पर सुनवाई के समय और स्थान की विधिवत अधिसूचना दी जाएगी और अपील रेफरी सभी पहले सौंपी गई डॉकेट नंबरों का उपयोग करके सुनवाई के समापन पर नए फैसले को पहचानेंगे।



महत्त्वपूर्ण – निम्नलिखित पृष्ठ देखें

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या
दो में से पहला पृष्ठ

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस निर्णय के साथ अपील विभाग को भेजे गए रिमांडेड रिकॉर्ड के सभी दस्तावेज अपील रेफरी को सुनवाई के नोटिस के साथ कानून के अनुसार आवश्यक रिकार्ड को पूरा करने के लिए, अपील रेफरी द्वारा सबूत के रूप में चिह्नित किए जाने और रिकॉर्ड में लिखने के लिए भेजे जाएंगे।

बोर्ड ऑफ़ रिव्यू के सदस्य Susan Doe और John Doel इस अपील में सहभागी हुए और इस निर्णय से सहमत हैं।

यह

बोर्ड ऑफ़ रिव्यू

चेयरमैन

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि, (एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली थर्ड-पार्टी कंपनी से व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी होना चाहिए, या N.C. Gen. Stat. अध्याय 84 और § 96-17(b) के तहत लाइसेंस प्राप्त अटॉर्नी द्वारा निरीक्षित व्यक्ति होना चाहिए। अटॉर्नी पर्यवेक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण लिखित में 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार होनी चाहिए। **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. अध्याय. 84 का पालन करना चाहिए।**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को भेजे जानेवाले सभी आवश्यक दस्तावेज या जानकारी केवल कानूनी प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे। पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उसी महत्त्व और प्रभाव के रूप में होगी जैसे कि उसे सीधे पक्ष में भेज दिया गया हो।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार को किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों का पुनर्भुगतान करना होगा, जो कि बाद में अपील से वापस आ जाएगा N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)।

अपील दायर करने की तारीख:

निर्णय मेल करने की तारीख: